कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग–उन्नाव।
पत्रांक 2478 /14–1 दिनांक, उन्नाव मार्च, 24 - 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर–उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों की अनुमति के सम्बन्ध में।

संन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0–2931/14–C–FP/UP/Road/25904/2017 दि0–15.03.2023

प्रपोजल सं0– FP/UP/Road/25904/2017

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को प्रष्ठांकित है, के क्रम में विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार आख्या आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

क0	आपत्ति	निराकरण
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही हैं तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है, संलग्न नही किया गया है।	परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही हैं तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है, का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वन भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2 –2019–190 जी/2018 दि0–28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण –पत्र संलग्न नही किया गया है।	शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2 –2019–190 जी/2018 दि0–28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण –पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
3	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल गलत अकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित वचनबद्वता प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–33 पर संलग्न है।
4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न हे किन्तु स्थल चिन्हित नही हैं।	गजट नोटिफिकेशन में स्थल चिन्हित कर दिये गये हैं।
5	रोड चौडीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्वता प्रमाण–पत्र जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्वता प्रमाण–पत्र जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
7	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 2478 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक–2931/11–सी/एफपी/यूपी/रोड/25904/2017 दि0–15.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

O/C

766
प्राप्त कियाई
भीमासिंह
24/3/2023